CHHATTISGARH NIJI KSHETRA VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AUR VINIYAMAN) ADHINIYAM, 2001

TABLE OF CONTENTS

Clauses :

1 Short title, extent and commencement.

2. Definitions.

3. Objects of the University.

4. Proposal for establishment of the University.

5. Establishments of the University.

6. Incorporation of the University.

7. General Fund.

8. Application of General Fund.

9. University to be self financed.

10. Land to be made avilable by State Government

11. University open to all classes, castes and creeds.

12. Officers of the University.

13. Visitor.

14. Chancellor.

15. Vice-chancellor.

16. Registrar.

17 Chief Finance and Accounts Officer.

18. Other officers.

19 Authorities of the University.

20. Governing Body.

21. Board of Management.

22. Academic Council.

23. Other Authorities.

24. Powers of State Government to inspect University.

25. First statutes.

26. Subsequent Statutes.

27. Ordinances

28. Subsequent Ordinances.

29. Annual Report.

30. Annual Accounts.

31. Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority of the University

32. Mode of proof of University record.

33. Management of University on dissolution of sponsoring body.

34. Special powers of the State Govt. in certain circumstances.

35. Powers of State Government.

36. Power to make rules.

37. Regulations.

38. Laying of Rules, Statutes and Ordinances.

39. Power to remove difficulties.

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 2 of 2001)

THE CHHATTISGARH NIJI KSHETRA VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AUR VINIYAMAN) ADHINIYAM, 2001

A Vidheyak to provide for establishment of self financed Private Universities for imparting Higher Education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

An Act it enacted by the Chhattisgarh legislature in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows :

1. (1) This Adhiniyam may be called the Chhattisgarh niji Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2001 (No.2 of 2001). *Short title, extent and commencement.*
   (2) It extends to the whole of Chhattisgarh.
   (3) It shall come into force on such a date as the State Govenment may, by notification, appoint.

2. In this Adhiniyam, unless the context otherwise requires- *Definitions.*
   (a) "Ordinance" means an Ordinance of the University ;
   (b) "Sponsoring Body" in relation to a University means-
      (i) a society registered under the Madhya Pradesh Societies Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973);
      (ii) any Public Trust ; or
      (iii) a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) ;
   (c) "Statute" means a Statute of the University ;
   (d) "University" means a University established under sub-section (1) of Section 5.

3. The objects of the University shall be- *Objects of the University*
   (1) to provide instructions, teaching and training in Higher Education and make provisions for research, advancement and dissemination of knowledge ;
   (2) to create higher levels of intellectual abilities ;
   (3) to establish state of the art facilities for education and training ;
   (4) to carry out teaching and research and offer continuing education programmes ;
   (5) to create centres of excellence for research and development and for sharing knowledge and its application ;
   (6) to provide consultancy to the industry and public organizations ;
   (7) to establish main campus in Chhattisgarh and to have study centres at different places in India and other countries;
   (8) to establish examination centres;
   (9) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic dis-

tinctions on the basis of examination, or any other method of evaluation ;

(10) to pursue any other objective as may be approved by the State Government.

(11) to ensure that the standard of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by AICTE/NCTE/UGC/MCI and Pharmacy Council etc.

Proposal for establishment of the University.

4. (1) An application containing the Project Report to establish. A University for carrying out any or all of the objects enumerated in section 3 of this Adhiniyam shall be made to the State Government by the Sponsoring Body along with such fee as may be prescribed.

(2) The Project Report shall contain the following particulars, namely-

(a) the objects of the University along with the details of the Sponsoring Body ;

(b) the extent and the status of the University and the avaliability of land ;

(c) the nature and the type of programmes of study and research to be undertaken in the University during a period not less than the next five years.

(d) the nature of faculties, courses of study and research proposed to be started ;

(e) the campus development such as building, equipment and structural amenities;

(f) the phased outlays of capital expenditure for a period not less than the next five years ;

(g) the item-wise recurring expenditure, sources of finance and estimated expenditure for each student ;

(h) the scheme for mobilizing resources and the cost of capital thereto and the manner of repayments to the Sponsoring Body and other sources ;

(i) the schme for the generation of funds internally through the recovery of fee from students, revenues anticipated from consultancy and other activities relating to the objects of the University. and other anticipated incomes ;

(J) the details of expenditure on unit cost and the extent of concessions or rebates in fee or freeship and scholarship for students belonging to the Scheduled Tribes and Scheduled Castes, belonging to economically weaker sections, in lieu of land grants if any, from the State Government, subject to the condition that the number of students getting concessions and freeships or scholarships shall not be less than twenty two and one half percent of the total number of seats. The proposed fee structure shall also indicate the rationale for the varying rates of fee that would be levied on non resident Indians and students of other nationalities ;

(k) the years of experience and expertise in the concerned disciplines at the command of the Sponsoring Body as well as the financial resources.

(l) the system to select students for admission to the courses of study at the University ;

(m) such other details as may be prescribed by rules framed under this Adhiniyam.

(3) The State Government, on receipt of the Project Report shall make such enquiry as it may deem necessary within forty five days from the date of submission of the Project Report.

(4) If the State Government is satisfied with the proposal to establish the University, it may, subject to such conditions as may be specified, accord the sanction for the same.

5. (1) The State Government may by notification in the Gazette establish a University by such name and with such jurisdiction and location of campus as may be specified therein having regard to- **Establishment of the University.**

(a) the desirability to establish a University ;

(b) recognition or authorisation as may be required under any other law for the time being in force to conduct the syllabus and to grant degrees or diplomas or awards.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

6. (1) Every University established under sub-section (1) if Section 5 shall be a body corporate by the name notified under the said section having perpetual succession and a common seal, and may sue or be sued by the said name. **Incorporation of the University.**

(2) The University established under sub-section (1) of Section 5 may, with the prior approval of the State Government, affiliate any college or other institution or set up more than one campus.

7. Every University, shall establish a fund which shall be called the General Fund to which shall be credited the following namely :- **General Fund.**

(a) fees and other charges received by the University ;

(b) any contributions made by the Sponsoring Body ;

(c) any income received from consultancy and other work undertaken by the University in pursuance of its objectives ;

(d) trusts, bequests, donations, endowment and any other grants ;

(e) all other sums received by the University.

8. The General Fund shall be used for one or more of the following objects, and in the following order, namely :- **Application of General Fund.**

(a) the repayment of debts including interest charges there to incurred by the University for the purposes of this Adhiniyam and the Statutes, and the Ordinances and Regulations made thereundar ;

(b) the upkeep of the assets of the University ;

(c) the payment of the cost of audit of the funds created under section 7 ;

(d) the meeting expenses of any suit or proceedings to which University is a party ;

(e) the payment of salaries and allowances of the officers and employees of the University. members of the teaching and research staff. and payment of any Provident Fund contributions, gratuity and other benefits to any such officers and employees, members of the teaching and research staff ;

(f) the payment of travelling and other allowances of the members of the Governing Body, the Board of Management, Academic Council, and other authorities so declared under the Statutes of the University and of the members of any Committee or Board appointed by any of the authorities of the University in pursuance of any provision of this Adhiniyam, or the Statutes, or the Ordinances or the Regulations made thereunder ;

(g) the payment of fellowships, free-ships, scholarships, assistantships and other awards to students belonging to economically weaker sections of the society or research associates or trainees as the case may be; or to any student otherwise eligible for such awards under the Statutes, Ordinances or Regulations of the University under the provisions of this Adhiniyam ;

(h) the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Adhiniyam, and the Statutes, the Ordinances or the Regulations made thereunder ;

(i) the payment of cost of capital, not exceeding the prevailing bank rate of interest, incurred by the Sponsoring Body for setting up the University and the investments made therefor ;

(j) the payment of charges and expenditure relating to the consultancy work undertaken by the University in pursuance of the provisions of this Adhiniyam, and the Statutes, Ordinances and the Regulations made there under ;

(k) the payment of any other expenses including a management fee payable to any organization charged with the responsibility of managing the University on behalf of the sponsoring body, as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the University.

Provided that no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits for total recurring expenditure and total nonrecurring expenditure for the year as may be fixed by the Board of Management without the previous approval of the Board of Management.

Provided further that the General Fund shall be applied for the objects specified under clause (a) with the prior approval of the Governing Body of the University.

University to be self financed.

9. The University shall not be entitled to receive any grant or other financial

assistance from the Central Government, any State Government or any other authority, except for the purposes of ;

(i) meeting in full or in part any amount towards the fee otherwise payable by students belonging to the socially disadvantaged or economically weaker sections ;
(ii) conducting any study for research purposes, including for the purpose of instituting any faculty for furthering research.

10. The State Government may make available land for setting up the University on such terms and conditions as may be prescribed. Land to the made available State Government.

11. (i) The University shall be open to all persons of either sex and of every caste, creed, religion, race, or class or place of domicile and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person, any test whatsoever of religious belief or any profession in order to entitle him to be appointed as a Teacher of the University or to hold any other office therein or to be admitted as a student in the University or to graduate there at or to enjoy or exercise any privilege thereof. University open to all classes, castes and creed.

(ii) Notwithstanding any thing contained in clause (i) the University shall make special provisions for the employment or profession of educational interests of women, persons with disability or of persons beloging to the weaker sections of the society and in particular of the scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes as may be directed by the State Government from time to time.

12. The following shall be offcers of University, namely :- Officers of the University.

(1) The Visitor ;
(2) The Chancellor ;
(3) The Vice-chancellor ;
(4) The Registrar;
(5) The Chief Finance and Accounts Officer;
(6) Such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University;

13. (1) The Governor of Chhattisgarh shall be the Visitor of the University. Visitor.

(2) The Visitor shall, when present, preside at the convocation of the University for conferring degrees and diplomas.

(3) The Visitor shall have the following powers namely :-

(a) To call for any paper or information relating to the affairs of the University.

(b) On the basis of the information received by the Visitor, if he is satisfied that any order, proceeding, or decision taken by any authority of the University is not in conformity with the Adhiniyam, Regulations. Ordinances or Rules, he may issue such directions as he may deem fit in the interest of the University and the directions so issued

shall be complied with by all the concerned.

Chancellor.

14. (1) The Chanceller shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years, with prior approval of the Visitor by following such procedure and on such terms and conditions as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Chancellor shall be the head of the University.

(3) The Chancellor shall preside at the meeting of the governing body and shall, when the Visitor is not present, preside at the convocation of the University for conferring degrees or diplomas.

(4) The Chancellor shall have the following powers, namely :-

(a) To call for any information or record ;

(b) To appoint the Vice-chancellor;

(c) To remove the Vice-chancellor ;

(d) Such other powers as may be prescribed by the statutes.

Vice-chancellor.

15. (1) The Vice-chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of three persons recommended by the Governing body and shall subject to provision contained in Section 3/4 (7) hold office for a term of four years. Provided that, after expiration of the term of 4 years the Vice-chancellor shall be eligible for re-appointment for another term not exceeding four years.

(2) The Vice-chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general superintendences and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of various authorities of the University.

(3) The Vice-chancellor shall preside at the convocation of the university in the absence of both, the Visitor and the Chancellor ;

(4) If in the opinion of the Vice-chancellor it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Adhiniyam, he may take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter ;

Provided that if in the opinion of the concerned authority such action should not have been taken by the Vice-chancellor then such case shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Provided further that where any such action taken by the Vice-chancellor affects any person in the service of the University such person shall be entitled to prefer, within three months from the date on which such action is communicated to him, an appeal to the Board of Management and the Board of Management may confirm or modify or reverse the action taken by the Vice-chancellor.

(5) If in the opinion of the Vice-chancellor any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by this Adhiniyam, Stat-

utes or Ordinances or is likely to be prejudicial to the interest of the University, he shall request the concerned authority to revise its decision within seven days from the date of his decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within seven days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by statutes or the ordinances.

(7) If any time upon representation made or otherwise and after making such enquiries as may be deemed necessary. The chancellor by an order in writing stating the reasons therein, may ask the vice-chacellor to relinquish his office as from such date as may be specified in the order.

16 (1) The appointment of the Registrar shall be made in such manner as may be prescribed by the First Statute. Registrar.

(2) All contracts shall be signed and all documents and records shall be authenticated by the Registrar on behalf of the University.

(3) The Registrar shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

17. (1) The appointment of Chief Finance and Accounts Officer shall be made in such a manner as may be prescribed by the Statutes. Chief Finance and Accounts Officer.

(2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

18. The manner of appointment of other officers of the University shall be prescribed by the Statutes. Other Officers.

19. (1) The following shall be the authorities of the University, namely :- Authorities of University. Governing Body.

(1) The Governing Body ;
(2) The Board of Management ;
(3) The Academic Council ; and

(3) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

20. (1) The Governing Body of the University shall consist of the following, namely :- Govrning Body.

(a) The Chancellor
(b) Vice-chancellor
(c) Three persons nominated by the Sponsoring Body ;
(d) One representative of the State Government ;
(e) an educationist of repute to be nomitated by the state Government ;
(f) One academician to be nominated by the Visitor.

(2) The Chancellor shall be the Chairman of the Governing Body.

(3) The Governing body shall be the supreme authority of the University

and shall have the following powers, namely :-

(a) to review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with this Adhiniyam, Rules, Statutes or Ordinances ;

(b) to approve the budget and annual report of the University ;

(c) to lay down the extensive policies to be followed by the University ;

(d) to take decision about the voluntary liquidation of the University.

(4) The Governing Body shall meet at least twice in a calendar year.

Board of Management.

21. (1) The Board of Management shall consist of the following members, nemely :-

(a) Vice-chancellor ;

(b) One representative to be nominated by the State Government ;

(c) Two representatives to be nominated by the Sponsoring body ;

(d) Senior most Professor of the University.

(2) The Vice-chancellor shall be the Chairman of the Board of Management

(3) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be prescribed by the Statutes.

Academic Council

22. (1) The Academic Council shall consist of the Vice-Chancellor and such number of other members as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Vice-chancellor shall be the Chairman of the Academic Council.

(3) The Academic Council shall be the Principal Academic Body of the University and shall, subject to the provisions of this Adhiniyam, Rules Statutes and Ordinances, Co-ordinate and exercise general supervisior over the academic policies of the University.

Other Authorities.

23. (1) The constitution, powers and functions of other authorities of the university shall be such as may be prescribed by the Statutes.

Powers of State Government to inspect University.

24. (1) For the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating the University State Government may after cousultation with Vice-chancellor cause an assessment to be made in such a manner as may be prescribed by such person or persons as it may deem fit.

(2) The State Government shall communicate to the University its recommendations in regard to the result of such assessment for corrective action.

(3) If in the opinion of the State Government, the action taken or proposed to be taken under sub-section (2) by the University is not to its satisfaction, the same may further be communicated to the Vice-chancellor who shall carry out the recommendation within a reasonable time failing which the State Government may take any action as it deems fit.

First Statutes.

25. (1) Subject to the provisions of this Adhiniyam and the rules, the First Statutes of the University may provide for all or any of following matters,

namely :-

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University as may be constituted from time to time ;

(b) the terms and conditions of appointment of the Vice-chancellor and his powers and functions ;

(c) the terms and conditions of appointment of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer and their powers and functions ;

(d) the terms and conditions of appointment of other officers and members of the Faculty and their powers and functions ;

(e) the terms and conditions of service of employees of the University;

(f) the procedure for arbitration in case of disputes between officers, members of the Faculty, employees and students ;

(g) the conferment of honorary degrees ;

(h) provision regarding exemption from tuition fee and awarding scholarships;

(i) provision regarding the policy of admission including regulation of reservation of seats ;

(j) provision regarding fees to be charged from students :

(k) provision regarding number of seats in different syllabus ;

Provided that the University shall not make any statute relating to charging of donation or capitation fee from the students without the prior approval of the State Govt.

(2) The first Statutes of the University shall be made by the Governing Body and shall be submitted to the State Government for approval.

(3) The State Government shall consider the First Statutes submitted by the University within two months from the date of its receipt and shall give its approval with such modifications as it may deem necessary.

(4) The University shall communicate its agreement to the First Statutes as approved by the State Government, and if it desires not to give effect to the modifications made by the State Government under sub-section (3), it may give the reasons therefore and the State Government may or may not accept the suggestions made by the University.

(5) The State Government shall publish the First Statutes as finally approved by it in the official gazette and thereafter such statutes shall come into force.

26. (1) Subject to the provisions of this Adhiniyam and the rules, the Statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely :- Subsequent Statutes

(a) creation of new authorities of the university ;

(b) accounting policy and financial procedure ;

(c) election of teachers for giving representation in the authorities ;

(d) creation of new departments and abolition or restructure of

existing departments ;

(e) institution of fellowships, scholarship, stipends, exemption of fees, medals and prizes;

(f) creation of posts and procedure for abolition;

(g) revision of fees ;

(h) alteration of the number of seats in different syllabus ;

(i) all other matters not prescribed by rules which are to be prescribed by the statutes.

(2) The Statutes of the University other than the first Statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the governing body.

(3) The Statutes made under sub-section (2) shall be sent to the State Government and the State Government may, if it considers necessary, give suggestions for modifications in it within two months from the date of receipt of the Statutes ;

(4) The Government Body shall consider the modifications suggested by the State Government and return the Statutes to the State Government with its comments on the suggestions.

(5) The State Government shall consider the suggestions made by the Governing body and the Statutes as finally approved by the State Government shall be published in the gazette and on such publication the Statutes shall come into force.

Ordinances.

27. (1) Subject to the provisions of this Adhiniyam, Rules and Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely :-

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such ;

(b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University.

(c) the award of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same ;

(d) the conditions for award of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes ;

(e) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiers and moderators ;

(f) fees to be charged for the various courses examinations, degrees and diploma of the University ;

(g) the condition of residence of the students of the University ;

(h) provision regarding disciplinary action against the students ;

(i) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University ;

(j) the manner of co-operation and collaboration with other unversities and institutions of higher education ;

(k) all other matters which by this Adhiniyam, Rules or Statutes are

required to be provided by the Ordinances.

(2) The First Ordinances of the University shall be made by the Vice-chancellor which shall be submitted to the State Government for approval.

(3) The State Government shall consider the First Ordinances submit ted by the Vice-chancellor under sub-section (2) within two months from the date of its receipt and shall either approve it or give sugges tions for modifications.

(4) The Vice-chancellor shall give his comments on the suggestions made by the State Government and shall return the First Ordinances to the State Government and on receipt of the same the State Government shall either approve the comments of the Vice-chancellor or disapprove the same and on the basis of its final decision the Ordinances as approved shall be notified in the Gazette and on such publication the ordinances shall come into force.

28. (1) All ordinances other than the First Ordinances shall be mede by the Academic Council with the approval of the Board of Management. Subsequent Ordinances.

(2) The State Government shall publish all Ordinances made under sub-section (1) in the Gazette and on such publication the Ordinances shall come into force.

29. (1) The Annual report of the University shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects and shall be approved by the Governing Body and a copy of the same shall be sent to the visitor. Annual Report.

(2) A copy of the annual report prepared under sub-section (1) shall be presented to the State Government.

30. (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once every year by the Auditors appointed by the University for this purpose. Annual Accounts.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Governing Body.

(3) A copy of the annual accounts, audit report along with the observations of the Governing Body shall be submitted to the Visitor and the State Government.

(4) The direction of the State Government on the subject arising out of the accounts and audit report of the University shall be binding on the University.

31. No act or proceedings of any authority of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy in or defect in the constitution thereof. Vacancies not to invalidate proceedings of any authority of University.

32. A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding, resolu- Mode of proof of University record.

tion, of any authority or Committee of the University or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as prima facie evidence of such receipt, application, notice, order proceeding, resolution or documents or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence, notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872 or in any other law for the time being in force.

Management of University on dissolution of sponsoring body.

33. (1) If the sponsoring body proposes to dissolve itself according to the provisions of law governing its constitution or incorporation it shall give at least six months priar notice to the State Government.

(2) The State Government shall, on receipt of such notice make such arrangements as may be prescribed, for the administration of the University from the date of dissolution of the sponsoring body till the completion of syllabus by the last batch of students admitted to the University or may also cause the functioning of the University to continue by appointing an administrator in place of the sponsoring body, who shall be entrusted with the powers, duties and functions of the Sponsoring Body as prescribed under this Adhiniyam.

(3) On appointment of an Administrator under sub-section (2) the Chancellor may after affording the opportunity of being heard remove the Vice-chancellor and may appoint such person as Vice-chancellor as he deems fit.

Special Powers of the State Govt. in certain circums tances.

34. (1) If it appears to the State Government that any of the directions issued by it to the University under this Adhiniyam has been violated or a situation of financial mismanagement and maladministration has arisen in the university, it shall issue notice requiring the University to show cause within forty five days as to;

(a) Why an order of its liquidation should not be made ;

(b) Why the board of management should not be suspended and an administrator be appointed under sub-section (7).

(2) If the State Government considers it necessary to suspend the Board of Management for the proper investigation, it shall, by notification published in the Gazatte, order suspension of the Board of Management and shall make such arraugments in consultation with the sponsoring body for the administration of the business of the University till the complection of investigation as it may consider necessary.

(3) If the State Govenment, on receipt of reply of University in respect of notice issued under sub-section (1), is satisfied that there is a prima-facie case of financial mismanagement, maladministration or violation of any of the provisions of this Adhiniyam or directions issued thereunder it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

(4) The State Govenment shall, for the purposes of any enquiry under sub-

section (3), appoint an officer or authority to enquire into any of the allegations and to make report thereon.

(5) The enquiring authority appointed under sub-section (4) shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 40 of 1908) while trying a suit in respect of the following matters namely :-

(a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath ;

(b) requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence ;

(c) requisitioning any public record from any court or office ;

(d) any other matter which may be prescribed ;

(6) Every enquiring authority enquiring under this Adhiniyam shall be deemed to be a civil court for the purposes of Section 195and Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) ;

(7) If the State Government on receipt of the enquiry report is satisfied that owing to financial mismanagement and maladministration a situation has arisen where by the financial stability or administration of the University has become insecure, it shall, by notification in the official Gazatte, order liquidation of the University or may cause the functioning of the University to continue by appointing an Administrator who shall have the powers vested in the Governing Body ;

(8) While issuing notification in respect of liquidation under sub-section (7), the State Government, shall, till the end of its current course, make arrangement for the administration of business of the University.

(9) The State Government during the period of management of University under sub-section (8) shall use the funds available with the University and the surplus, if any, shall be forfeited for itself.

(10) Every notification issued under sub-section (7) shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

35 The State Government shall have the following powers, namely :- Power of State Government.

(a) to issue directions to do anything as is required to be done or rectify any violation by the University under this Adhiniyam, Rules, Statutes or any other provisions of Ordinances made thereunder ;

(b) to adjudicate disputes between the University or any other special ist body under this Adhiniyam and issue directions to comply with the decisions in respect of such disputes ;

(c) to pass order of dissolution of board of management or appoint administrator under section 34 ;

(d) to pass order under section 35 ;

(e) to make order to frame Statutes in respect of specific matters under this Adhiniyam.

36. (1) The State Government may, by notification in the Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Adhiniyam. Power to make rules.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :-

(a) the manner of making proposal to establish University and the fees payable under sub-section (1) of section 4;

(b) other particulars to be contained in the Project Report under sub-section (2) of section 4 ;

(c) other matters to be provided for in the Statutes under sub-section (1) of section 25 ;

(d) arrangements to be made for the administration of the University on the dissolution of the Sponsoring Body under sub-section (2) of section 33;

(e) matters to be prescribed under clause (d) of sub-section (5) of section 34.

Regulations.

37. (1) The Authorities of the University constituted by or under this Adhiniyam may make regulations subject to the provisions of this Adhiniyam, the statutes and the ordinances of the University.

(2) The Board of management may modify or annual any regulations made under this section by any authority :

Provided that any authority which is not satisfied with any modification or annulment may appeal to the Governing Body whose decision in this matters shall be final.

Laying of Rules, Statutes and Ordinances.

38. Every Rule, Statute, or Ordinances made under this Adhiniyam shall be laid, as soon as may be after it is made, on the table of the Legislative Assembly.

Power to remove difficulties.

39. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Adhiniyam, the State Government may, by order published in the Gazette, make provision, not inconsistent with the provisions of this Adhiniyam as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty :

(2) Every order made under this section shall as soon as may be after it is made be laid on the table of the Legislative Assembly.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The avenues of higher education & advanced knowledge are limited in the State. Public financial constraints come in the way of investments by the State in creating adequate higher educational infrastructure. The State Policy provides for attracting private investments in setting up institutions of higher education and research. By providing adequate incentives to such private investors, the organizations of national and international repute can be attracted to invest in setting up Unversities for which no financial support is required from the State Government.

2. Specific or enabling legislation is required for establishment of such Universities. A common set of guidelines will be require in the establishment of such Universities by ensuring educational standard and by preventing commercialization. It is felt expedient to have an enabling legislation to provide for establishment and functioning of self financed private Universities and for matters regulating them.

3. Hence this Vidheyak.

Member -in-charge.

RAIPUR, Dated the 2001.

नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय में मुद्रित तथा प्रकाशित–2002

CHHATTISGARH ACT
(No. 4 of 2004)

THE CHHATTISGARH NIJI KSHETRA VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AUR VINIYAMAN) SANSODHAN ADHINIYAM, 2004

An Act to amend Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam 2002 (No. 2 of 2002)

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Fifth year of the Republic of India, as follows :-

Short title extent and commencement

1 (1) This Act may be called the Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Sansodhan Act, 2004.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

Definition

2 In this Act, unless the context otherwise requires:-

" Principal Adhiniyam " , means the Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002.) (No.2 of 2002)

Amendment of Section 2

3. In Section 2 of the Principal Adhiniyam ; after clause (d), the following clause shall be inserted ;namely :-

(e) " main campus " means the campus of the university where main office of the university is situated and where the Vice-chancellor and Registrar reside and where not less than three University Teaching Departments / Schools of studies are located.

(f) " off-campus centre " means a centre of the university established by it outside the main campus (within or outside the State) operated and maintained as its constituent unit, having the university's complement of facilities, faculty and staff.

(g) "off-shore campus " means a campus of the university established by it outside the country, operated and maintained as its constituent unit, having the university's complement of facilities, faculty and staff.

(h) "study centre " means a centre established and maintained or recognized by the university for the purpose of advising, counselling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education.

(i) "fee" means collection made by the university from the students by whatever name it may be called, which is not refundable.

(j) "Regulatory Commission " means the Regulatory Commission established under the Adhiniyam. "

Amendment of Section 3.

4. For Sub-sections (10) and (11) of Section 3 of the Principal Adhiniyam, the following Sub-sections shall be substituted; namely :-

" (10) To ensure that the standard of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by AICTE, NCTE, UGC, MCI, Pharmacy Council, and such agency/agencies established by the Central Government for regulation of education and the Regulatory Commission ;and

(11) To pursue any other objective as may be approved by the Regulatory Commission "

Amendment of Section 4.

5. For Sub-section (1) of Section 4 of the Principal Adhiniyam, the following Sub-sections shall be substituted ; namely :-

" (1) (a) An application containing the Project Report to establish a university for carrying out any or all the objectives enumerated in Section 3 of the Adhiniyam shall be made to the Regulatory Commission by Sponsoring Body alongwith fee and such form as may be prescribed, at least one year before the date from which it intends to start the university.

(b) The Sponsoring Body shall submit alongwith its application as per (a) above,

(i) Proof of having established an Endowment Fund of Rs.2 crore;

(ii) Proof of being in possession of 15 acres of land, in case the main campus is proposed to be established within the Municipal Corporation Limits of Raipur; or 25 acres of land in case the main campus is proposed to be established elsewhere in the State and in addition, if the land has been obtained on lease, the period of lease should be at least 30 years. In case, the Sponsoring Body does not posses the required land, it shall furnish proof of having deposited an additional sum of Rs. 2 crore in the manner prescribed. Withdrawls out of this additional fund shall be permitted by the Regulatory Commission for the purchase of land for the use of the University.

Provided that where the main campus of the University is proposed to be established in a Scheduled Area of the State, only fifty percent of the amounts in (i) and (ii) above need to be deposited.

(c) The Edowment Fund shall be used as security deposit to ensure that the University complies with the provisions of

the Adhiniyam and functions as per the provision of the Adhiniyam, the Statutes and the Act. The Regulatory Commission shall have the power to forfeit a part or whole of the Endowment Fund, in case of non-compliance in the manner as may be prescribed.

(d) The Endowment Fund shall be invested in the manner as may be prescribed.

(e) The Sponsoring Body shall be permitted to use Income from the Endowment Fund for the development of the University.

(1-A) A University already established in the State under the provisions of the Adhiniyam, shall comply with the provisions of clauses (b) to (e) of Sub-section (1) of Section 4 above by 30th June 2004, or else the Notification issued by the Government under Sub-section (1) of Secton 5 of the Adhiniyam shall be liable to be cancelled on the recommendations of the Regulatory Commission. In the event of such de-notification of the University, completion of courses, conduct of examinations, award of the degrees to the students of the University may be assigned to another University in such a manner that the interests of the students are not affected. Expenditure made in this behalf shall be made good from the General Fund of the University concerned. "

6. For clause (j) of Sub-section (2) of section 4 of the Principal Adhiniyam, the following clause (j) shall be substituted; namely :-

" (j) the details of expenditure on unit cost, the extent of concessions or rebates in fee, free studentship and scholarship for students belonging to economically weaker sections and the fees structure indicating varying rate of fee, if any, that would be levied on non-resident indians and students of other nationalities "

7. For Sub-section (3) of Section 4 of the Principal Adhiniyam, the following Sub-section shall be substituted; namely :-

" (3) The Regulatory Commission on receipt of the application, Project Report, proof of creation of Endowment Fund and of possession of land to be used exclusively for running the University or in lieu thereof proof of deposit of additional fund as per the provisions of Sub-section (1) above, shall make such enquiries as it may deem necessary within 45 days from the date of application ."

8. For Sub-section (4) of Section 4 of the Principal Adhiniyam, the following shall be substituted ; namely :-

(4) If the Regulatory Commission is satisfied with the proposal to establish the University, it may advise the State Government to issue a notification."

Amendment of Section 5.

9. For Sub-section (1) of Section 5 of the Principal Adhiniyam, the following shall be substituted ; namely :-

" (1) (a) The State Government on receipt of the advice of the Regulatory Commission under Sub-section (4) of Section 4 of the Adhiniyam, may declare, by notification in official gazette, that the university is established by such name and with such jurisdiction and location of main campus, from such date as may be mentioned in the notification.

(b) All such notifications issued under Sub-section (1) of Section 5 of the Adhiniyam prior to coming into force of the the Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Sansodhan Adhiniyam 2004, shall be included as Schedule - I of the Adhiniyam and hereafter, notification issued regarding establishment of a University under the provisions of this Adhiniyam, shall form part of the said Schedule - I in chronological order.

(c) All the provisions of the Adhiniyam shall apply to Universities included in Schedule - I

Amendment of Section 6

10. After Sub-section (2) of Section 6 of the Principal Adhiniyam the following shall be substituted; namely :-

" (2) On its notification under Sub-section (1) of Section 5, the University shall establish its main campus in the State of Chhattisgarh on the land referred to in Sub-section (1) of Section 4 and for that purpose shall create a built up area of at least 25,000 Sq.ft. in the form of buildings and ancillary structures within a period of 2 years from the date of such notification. In the case of Universities which have already been notified before this Sansodhan Adhiniyam, the period of 2 years shall be reckoned from the date of coming in force of this Sansodhan Adhiniyam.

(3) All disputes arising as a result of the provisions made in this Adhiniyam shall be settled by a court of law located in the State of Chhattisgarh. "

Amendment of Section 7

11. After clause (e) of Section 7 of the Principal Adhiniyam, the following proviso shall be inserted; namely:-

" Provided that one percent of the fees collected from students enrolled in the main campus/off-campus centre or study centre located in the State of Chhattisgarh; two percent of fees collected from students enrolled in off-campus centre or study centre, off-shore campus located outside the State of Chhattisgarh; under (a) above, shall be deposited with the Regulatory Commission within 15 days of the month next to the month in which such fees are received. The Regulatory Commission shall credit this amount to the Consolidated Fund of the State alongwith the interest, if any, earned on this deposit, as far as possible within 60 days.

In case of failure of the University, to so deposit the fees with the Regulatory Commission, the Regulatory Commission may charge a penal interest at the rate of 1.5 % on the defaulted amount for every 30 days of delay.

Amendment of Section 10.

12. For Section 10 of the Principal Act, the following Section shall be substituted, namely :-

"10 Land of the University shall not be used for any purpose other than for running of the University."

Amendment of Section 24.

13. For Section 24 of the Principal Adhiniyam, the following shall be substituted, namely :-

Setting up of a Regulatory Commission

24(1) There shall be a Regulatory Commission for the purpose of ensuring appropriate standards of teaching, examinations, research, protection of the interest of the students and ensuring reasonable service conditions of employees while the University has full freedom to function.

(2) The Regulatory Commission shall function under the general control of the Visitor.

(3) The Regulatory Commission shall consist of a Chairman, two full-time and not exceeding two part-time members to be appointed by the Visitor.

(4) The Chairman shall be appointed by the Visitor from a panel recommended by the State Government consisting of eminent educationists who have a thorough knowledge of the working of the institutions of higher education.

(5) The members shall be appointed by the Visitor from a panel recommended by the State Government consisting of persons of repute in the field of education , finance, law, administration/ management, etc.

(6) The chairman and the members shall not be connected in any way with any of the universities established under the Adhiniyam.

(7) All orders and decisions of the Regulatory Commission and all instruments issued by the Commission shall be authenticated by signature of the Chairman.

(8) Terms and conditions of services of Chairman and the members, procedure for meetings of the Commission, recruitment and service conditions of the staff of the Commission, temporary association of persons with the Commission for particular purposes, funds of the Commission, its budget, annual report, account, audit and such other matter as may be required for proper functioning of the Commission shall be provided in the rules made by the State Government in this regard.

(9) It shall be the general duty of the Regulatory Commission :-

(a) To take, in consultation with the Universities and/ or other bodies concerned with regulatory function of the higher education system in the country such as the UGC, AICTE and NCTE, MCI, Pharmacy Council, and such agency/agencies established by the Central Government for regulation of education, all such steps, as it considers necessary for determination and maintenance of standards of teaching, examination and research in the universities.

(b) To ensure that universities have the freedom to make rules for admissions, subject to reservation policy of the Government in State of Chhattisgarh with regard to admissions of students belonging to Scheduled Tribes, Scheduled Castes and other weaker Sections of Society, decide course contents, method of teaching and the evaluation of students and matters connected thereto;

(c) To ensure that universities are allowed to collect such fees and other charges which cover the cost of education imparted by them and also give a reasonable surplus to enable them to maintain assets and carry out further expansion;

(d) To ensure that the teaching staff of the university has at least the minimum educational qualifications and get due emoluments looking to their qualifications;

(e) To ensure that the staff of the university is appointed by a written contract which shall be kept with the university and a copy of which shall be furnished to the employee concerned;

(f) To ensure that students enrolled in the university are not cheated or exploited and unscrupulous means are not adopted to collect fees from them;

(g) To take action pertaining to the liquidation of a university. This will include completion of courses, conduct of examinations, award of degrees, etc. either by undertaking job itself or by assigning the job to some other university in such a manner that the interest of the students are not adversely affected in any way. Expenditure made for these arrangements for the students alongwith the process of liquidation of the university shall be made good from the money deposited in the Endowment Fund and/ or General Fund;

(h) To regulate, in consultation with the concerned university, the study centres already established in different places in India and other countries on the date of coming into force of the Sansodhan Adhiniyam and to permit opening of off-campus centres, off-shore campus and study centres in consultation with the concerned University ;

(10) The State Government may issue directions on matters of policy to the Regulatory Commission.

(11) Notwithstanding the provisions of this Adhiniyam, the State Government in the Education Department shall function as the Regulatory Commission till the Commission is constituted as per provision of this Adhiniyam or in case it has become non-functional for whatever reasons.

Amendment of Section 25, 26,27 and 30

In Sub-section [illegible] Sub-section [illegible] of Section 25, Sub-section (3) and (4) of Section 26, Sub-section (2) and Sub-section (3) of Section 27 and Sub-section (3) and (4) of Section 30 of the Principal Adhiniyam, for the words " State Government " wherever they occur, the words " Regulatory Commission " shall be substituted

15. For Sub-section (5) of Section 25 of the Principal Adhiniyam, the following shall be substituted; namely :-

" (5) The State Government shall publish the first Statute as approved by the Regulatory Commission in the official gazette and thereafter such Statute shall come into force ".

16. For Sub-section 26(5) of the Principal Adhiniyam, the following shall be substituted; namely :-

" (5) The Regulatory Commission shall consider the suggestions made by the Governing Body and the Statutes, as finally approved by the Regulatory Commission, shall be published by the State Government in the gazette and on such publication, the Statute shall come into force".

17. For Sub-section (4) of Section 27 of the Principal Adhiniyam, the following shall be substituted; namely :-

"The Vice-Chancellor shall give his comments on the suggestions made by the Regulatory Commission and shall return the first Ordinance to the Commission and on receipt of the same, the Commission shall either approve the comments of the Vice-Chancellor or disapprove the same and on the basis of the final decision, the Ordinance as approved by the Regulatory Commission shall be notified by the State Government in the gazette and on such publication, the Ordinance shall come into force ".

Amendment of Section 28

18. For Sub-section (2) of Section 28 of the Principal Adhiniyam, the following shall be substituted; namely :-

" The State Government after approval of the Ordinances by the Regulatory Commission, shall publish all Ordinances made under Sub-section (1) in the gazette and on such publication, the Ordinance shall come into force "

For amendment of Section 29

19. For Sub section (2) of Section 29 of the Principal Adhiniyam, the following shall be substituted; namely :-

" A copy of the Annual Report prepared under Sub-section (1) shall be presented to the Regulatory Commission "

Amendment of Section 33

20. For Section 33 of the Principal Adhiniyam, the following Section shall be substituted; namely :-

33(1) If the Sponsoring Body proposes to dissolve itself or wants to discontinue the functioning of

the University established under the Adhiniyam, it shall inform the Regulatory Commission of a plan by which it shall ensure completion of courses and conduct of examinations and it shall announce the prospective date from which it shall not admit any new students.

(2) The Regulatory Commission on receipt of such information shall have the right to issue such directions to the Sponsoring Body for the fulfillment of its obligations under sub-section (1) as it may deem necessary. If the Sponsoring Body contravenes the provisions of sub-section (1), the Endowment Fund shall be forfeited by Regulatory Commission and the Commission shall make arrangements for completion of courses, conduct of examinations award of degrees, etc. of students of the university either by undertaking the job itself or by assigning the job to some other university in such manner that the interest of the students are not affected adversely in any manner. Expenditure made for these arrangements for the students shall be made good from the money deposited in the endowment fund and / or General Fund of the university "

21\. For Section 34 of the Principal Adhiniyam, the following Section shall be substituted; namely :-

Amendment of Section 34.

" 34(1) If it appears to the Regulatory Commission that any of the directions issued by it to the

university under the Adhiniyam has been violated or a situation of financial mismanagement and mal administration has arisen in the university, it shall issue notice requiring the university to show cause within 45 days as to why the notification in respect of such University under Sub-section (1) of Section 5 may not be cancelled.

(2) If the Regulatory Commission on receipt of the reply of the university is satisfied that there is a prima facie case of mismanagement, mal administration or violation of any of the provisions of the Adhiniyam or directions issued thereunder, it shall recommend to the State Government for cancellation of its notification under Sub-section(1) of Section 5 in respect of the University.

(3) While canceling such a notification in respect of liquidation under sub-section (2), the State Government may direct the Regulatory Commission to assume the administration of the University till the end of current courses .

(4) The Regulatory Commission during the period of management of the university under sub-section (3) shall use the funds available with the university and the surplus, if any, shall be forfeited ".

Amendment of Sections 35

22. Section 35 of the Principal Adhiniyam shall be omitted

Amendment of Sections 36

23. For clause (d) and (e) of Sub-section (2) of Section 36 of the Principal Adhiniyam, the following shall be substituted; namely :-

" (d) Deposit of additional fund under Sub-section 4(1) (b)(iii).

(e) The manner of forfeiture of Endowment Fund by the Regulatory Commission under Sub-section 4(1)(c).

(f) The manner of investment of sum meant for Endowment Fund under Sub-section 4(1)(d).

(g) The manner of payment to and use of income by the Sponsoring Body from Endowment Fund under Sub-section 4(1)(e).

(h) Mode of depositing part of the fee in the Consolidated Fund under Section 7 (e)

(i) Terms and conditions of services of Chairman and the members, procedure for meetings of the Commission, provision of staff to the Commission and their service condition, temporary association of persons with the Commission for particular purposes, funds of the Commission, its budget, annual report, accounts and audit and such other matters as may be required for proper functioning of the Commission under Sub-section 3 of Section 24 "

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग. सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, सोमवार, दिनांक 4 फरवरी 2002- माघ 15, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2002

क्रमांक 1064/21-अ/प्रारूपण/01 छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 27-1-2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई.एस.उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 31 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2001

अनुक्रमणिका

खंड :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.
3. विश्वविद्यालय का उद्देश्य.
4. विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव.
5. विश्वविद्यालय की स्थापना.
6. विश्वविद्यालय का निगमन.
7. सामान्य निधि.
8. सामान्य निधि का उपयोग.
9. स्ववित्तीय विश्वविद्यालय.
10. राज्य शासन द्वारा भूमि की उपलब्धता.
11. विश्वविद्यालय का सभी वर्ग, जाति एवं पंथ के लिए खुला होना.
12. विश्वविद्यालय के अधिकारी.
13. विजिटर.
14. कुलाधिपति.
15. कुलपति.
16. कुल सचिव.
17. मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी.
18. अन्य अधिकारी.
19. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.
20. शासी निकाय.
21. प्रबंध मंडल.
22. अकादमिक परिषद.
23. अन्य प्राधिकारी.
24. राज्य सरकार की विश्वविद्यालय के निरीक्षण की शक्ति.
25. प्रथम संविधि.
26. अनुगामी संविधि.

27. अध्यादेश.
28. अनुगामी अध्यादेश.
29. वार्षिक प्रतिवेदन.
30. वार्षिक लेखा.
31. रिक्तियां, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी की कार्यवाही की अवैधता का कारण नहीं.
32. विश्वविद्यालय अभिलेख साक्ष्य का उपकरण.
33. प्रायोजक निकाय के विघटन होने पर विश्वविद्यालय का प्रबंधन.
34. किन्हीं परिस्थितियों में राज्य शासन की विशेष शक्तियां.
35. राज्य शासन की शक्तियां.
36. नियम बनाने की शक्ति.
37. विनियम.
38. नियम, संविधि और अध्यादेश को पटल पर प्रस्तुत करना.
39. कठिनाइयों का निराकरण.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 31 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2001.

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु स्ववित्तीय निजी क्षेत्र विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा उनके क्रियाकलापों के नियमन एवं तद्संबंधी एवं तद्जनित विषयों के प्रावधान हेतु अधिनियम.

भारत के गणतंत्र के 52 वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम को छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2001 कहा जावेगा (क्रमांक 2 शन्, 2002)
(2) इसका विस्तार समस्त छत्तीसगढ़ राज्य होगा.
(3) यह ऐसी तिथि से प्रभावशील होगा जैसा कि राज्य शासन अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो-
(क) "अध्यादेश" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारित अध्यादेश,
(ख) विश्वविद्यालय के संदर्भ में "प्रायोजक निकाय" से अभिप्रेत है-
(1) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अंतर्गत पंजीबद्ध सोसायटी,
(2) कोई सार्वजनिक न्यास, अथवा
(3) कंपनी अधिनियम, 1956 (सन् 1956 का क्रमांक 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी,
(ग) "संविधि" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की संविधि,
(घ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित विश्वविद्यालय.

विश्वविद्यालय का उद्देश्य.

3. विश्वविद्यालय के उद्देश्य होंगे :-
1. उच्च शिक्षा में अनुदेशन, अध्यापन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं शोध तथा ज्ञान की अभिवृद्धि एवं विसरण का प्रावधान करना ;
2. बौद्धिक गुणों के उच्चतर स्तर का सृजन करना ;
3. शिक्षा एवं प्रशिक्षण की उन्नत सुविधाओं की स्थिति स्थापित करना ;
4. अध्यापन तथा शोध को क्रियान्वयन करना तथा सतत् शिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराना ;
5. शोध एवं विकास तथा ज्ञान की सहभागिता एवं उसके अनुप्रयोग के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन करना ;
6. उद्योग एवं सार्वजनिक संस्थाओं हेतु परामर्श-सेवा उपलब्ध कराना ;
7. मुख्य परिसर छत्तीसगढ़ में तथा भारत एवं अन्य देशों के विभिन्न स्थानों में अध्ययन केन्द्र स्थापित करना ;
8. परीक्षा केन्द्रों की स्थापना करना ;
9. परीक्षाओं या अन्य प्रकार से मूल्यांकन की प्रक्रियाओं के आधार पर उपाधियां, पत्रोपाधियां, प्रमाण-पत्रों और अन्य अकादमिक विशिष्टता संस्थापित करना ;
10. किसी ऐसे अन्य उद्देश्य, जो राज्य शासन द्वारा अनुमोदित कर दिया जावे, की प्राप्ति के लिए कार्य करना ;
11. यह सुनिश्चित् करना कि उपाधि, पत्रोपाधि, प्रमाण-पत्र तथा अन्य अकादमिक विशिष्टता का स्तर

ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.टी.ई./यू.जी.सी./एम.सी.आई./फार्मेसी काउन्सिल इत्यादि द्वारा निर्धारित मानक से निम्नतर न हो.

विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव.

4. (1) प्रायोजक निकाय द्वारा इस अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित किसी एक या सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आवेदन, परियोजना प्रतिवेदन के साथ राज्य शासन को ऐसे शुल्क सहित प्रस्तुत किया जावेगा, जैसा कि निर्धारित किया जावे.

(2) परियोजना प्रतिवेदन में अधोलिखित विवरण होंगे, यथा:-

(क) प्रायोजक निकाय के विस्तृत विवरण सहित विश्वविद्यालय के उद्देश्य ;

(ख) विश्वविद्यालय का विस्तार एवं प्रास्थिति तथा भूमि की उपलब्धता ;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम आगामी 5 वर्ष की अवधि हेतु अध्ययन, एवं शोध के लिये अपनाये जाने वाले कार्यक्रमों की प्रकृति एवं प्रकार का विवरण ;

(घ) प्रारंभ किये जाने वाले प्रस्तावित संकायों, पाठ्यक्रमों तथा शोध की प्रकृति ;

(च) परिसर विकास, यथा-भवन, उपकरण तथा अन्य संरचनात्मक सुविधायें ;

(छ) न्यूनतम आगामी पांच वर्ष के लिए प्रस्तावित पूंजीगत व्यय का चरण-बद्ध विवरण ;

(ज) मदवार आवर्ती व्यय, वित्तीय स्त्रोत तथा प्रति छात्र अनुमानित व्यय ;

(झ) संसाधनों को गतिमान करने एवं इस हेतु पूंजी की लागत एवं प्रायोजक निकाय को उसके भुगतान की प्रक्रिया अथवा अन्य ऐसी स्त्रोतों की योजना ;

(त) आंतरिक स्त्रोतों, जैसे छात्रों से शुल्क की वसूली, परामर्श-सेवा एवं विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से संबंधित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय से कोष- निर्माण की योजना ;

(थ) प्रति इकाई लागत पर व्यय का विस्तृत विवरण एवं राज्य शासन के भूमि अनुदान-यदि कोई हो, के एवज में कमजोर वर्ग के अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों को शुल्क में दी जाने वाली रियायत या छूट तथा शुल्क-मुक्ति एवं छात्रवृत्ति की सीमा, इस शर्त के साथ कि छूट एवं शुल्क -मुक्ति या छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, कुल छात्र संख्या के 22-1/2% से कम नहीं होगी. शुल्क संरचना में अनिवासी भारतीयों एवं अन्य विदेशी छात्रों पर लगाये जाने वाले शुल्क की दरों में भिन्नता का औचित्य भी दर्शायेगी ;

(द) प्रायोजक निकाय के अधीन संबंधित विषय-क्षेत्रों में अनुभव एवं विशेषता के वर्ष, वित्तीय स्त्रोत सहित दर्शायेगी ;

(ध) विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छात्रों की चयन-प्रक्रिया.

(न) ऐसे अन्य विवरण जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों द्वारा निर्धारित किये जावें ;

(3) राज्य शासन द्वारा परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों के अंदर ऐसी जांच कराएगा, जैसा वह आवश्यक समझे ;

(4) यदि राज्य शासन विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव से संतुष्ट हो तो वह ऐसी निर्दिष्ट शर्तों का उल्लेख करते हुए प्रायोजक निकाय को तद्नुसार स्वीकृति प्रदान करेगा.

विश्वविद्यालय की स्थापना.

5. (1) राज्य शासन, निम्न को ध्यान में रखते हुये, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना ऐसे नाम एवं ऐसे क्षेत्राधिकार तथा परिसर के स्थल का निर्धारण करेगा, जैसा कि उसमें उल्लिखित हों ;

(क) विश्वविद्यालय की स्थापना की वांछनीयता ;

(ख) पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि अथवा सम्मान की मान्यता या अधिकारिता, ततसमय प्रवृत्ति प्रभावशील किसी भी अन्य विधि के अंतर्गत आवश्यक हो ;

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत जारी प्रत्येक अधिसूचना विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी.

6. (1) धारा 5 की उपधारा 1 के अंतर्गत स्थापित प्रत्येक विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा जिसका नाम उक्त धारा में उल्लिखित होगा तथा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य चिन्ह (कॉमनसील) होगा जिसके द्वारा अथवा जिस पर उपरोक्त नाम से वाद लाये जा सकेंगे. विश्वविद्यालय का निगमन.

(2) धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से किसी महाविद्यालय या संस्थान को संबद्ध कर सकेगा अथवा एक से अधिक परिसर की स्थापना कर सकेगा.

7. प्रत्येक विश्वविद्यालय एक निधि की स्थापना करेगा जिसे सामान्य निधि कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित राशि जमा की जायेगी, यथा :- सामान्य निधि.

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त शुल्क एवं अन्य प्रभार,

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदत्त कोई अंशदान,

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों के अनुपालन में संपादित किये जाने वाले परामर्श एवं अन्य कार्यों से प्राप्त होने वाली कोई आय ;

(घ) न्यास, वसीयत, दान, धर्मस्व (अग्रहार) एवं कोई अन्य अनुदान ;

(ङ) विश्वविद्यालय को प्राप्त होने वाली अन्य सभी राशियां.

8. सामान्य निधि निम्नलिखित प्रयोजन अथवा प्रयोजनों हेतु अथवा निम्नांकित क्रम से उपयोग की जा सकेगी , यथा- सामान्य निधि का उपयोग.

(क) इस अधिनियम एवं संविधि तथा इनके अंतर्गत निर्मित अध्यादेशों एवं विनियमों के प्रयोजन हेतु लिये गये ऋणों एवं उनसे उद्भुत ब्याज का पुनर्भुगतान ;

(ख) विश्वविद्यालय परिसंपत्ति (एसेट्स) का रख-रखाव ;

(ग) धारा 7 के अंतर्गत निर्मित निधियों के लेखा परीक्षण व्यय का भुगतान;

(घ) ऐसे वाद अथवा वैधानिक कार्यवाही से संबंधित व्यय, जिसमें विश्वविद्यालय पक्ष हो,

(ङ) विश्वविद्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, शैक्षणिक एवं शोध में संलग्न स्टाफ के वेतन एवं भत्ते तथा इन अधिकारियों, कर्मचारियों, शैक्षणिक एवं शोध में संलग्न स्टाफ के भविष्य निधि, अंशदान, ग्रेच्युटी और अन्य लाभों का भुगतान;

(च) शासी निकाय, प्रबंध मंडल, अकादमिक परिषद् एवं विश्वविद्यालय की संविधि द्वारा घोषित अन्य प्राधिकारी के सदस्यों एवं इस अधिनियम अथवा विश्वविद्यालय के संविधियों अथवा अधिनियमों अथवा विनियमों के किसी भी प्रावधान के अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय किसी भी प्राधिकारी द्वारा गठित समिति अथवा मंडल के सदस्यों की यात्रा-व्यय एवं अन्य भत्तों का भुगतान ;

(छ) समाज के आर्थिक दृष्टि कमजोर वर्ग के छात्रों या रिसर्च एसोसिएट्स या प्रशिक्षुओं, जैसा भी प्रकरण हो, को फेलोशिप, शुल्क मुक्ति, छात्रवृत्ति, असिस्टेन्टशिप एवं अन्य स्वीकृतियों का भुगतान, अथवा ऐसा ही अन्य किसी छात्र को भुगतान जो कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय की संविधि, अध्यादेशों एवं विनियमों के अधीन इस प्रकार की स्वीकृतियों की पात्रता रखता है ;

(ज) इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत निर्मित संविधियों, अधिनियमों अथवा विनियमों, के क्रियान्वयन के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने वाले व्यय का भुगतान ;

(झ) प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निवेश में पूंजीगत व्यय का भुगतान जो ब्याज की प्रचलित बैंक दर से अधिक न हो ;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत निर्मित संविधियों, अधिनियमों तथा विनियमों के अंतर्गत परामर्श संबंधी किये जाने वाले कार्यों से संबंधित व्यय एवं प्रभार का भुगतान ;

(थ) प्रबंध मंडल द्वारा विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों के लिए अनुमोदित होने पर प्रायोजक निकाय की ओर से विश्वविद्यालय की व्यवस्था का दायित्व वहन करने वाली किसी संस्था को किया जाने वाला व्यवस्था शुल्क सहित व्यय का भुगतान ;

परन्तु, विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंध मंडल के पूर्वानुमोदन के बिना जैसा भी निश्चित् किया गया हो, कोई व्यय नहीं किया जायेगा जो प्रबंध मंडल द्वारा वर्ष हेतु कुल आवर्ती तथा कुल अनावर्ती व्यय हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो.

परंतु, यह भी कि सामान्य निधि की राशि का उपयोग जैसा कि कंडिका (क) में उद्देश्यों के लिए उल्लिखित है, विश्वविद्यालय के शासी निकाय के अनुमोदन से किया जा सकेगा.

स्ववित्तीय विश्वविद्यालय.

9. निम्नलिखित उद्देश्यों को छोड़कर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय शासन, राज्य शासन अथवा किसी अन्य प्राधिकारी से कोई अनुदान अथवा अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार नहीं रहेगा :-

(1) सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा अथवा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के छात्रों द्वारा देय शुल्क की पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिपूर्ति हेतु ;

(2) शोध के उद्देश्य से किसी अध्ययन हेतु, जिसमें शोध प्रोत्साहन के लिए किसी संकाय की स्थापना का उद्देश्य भी सम्मिलित है.

राज्य शासन द्वारा भूमि की उपलब्धता.

10. राज्य शासन, विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ऐसी शर्तों एवं उपबंधों के अधीन भूमि उपलब्धता करा सकेगा, जैसा कि वह निर्धारित करे.

विश्वविद्यालय का सभी वर्ग, जाति एवं पंथ के लिए खुला होना.

11. (i) विश्वविद्यालय किसी भी लिंग एवं किसी भी जाति, पंथ, धर्म, मूल, वंश, वर्ग, अधिवास स्थान के सभी लोगों के लिए खुला होगा और विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने या उनमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त करने अथवा स्नातक होने हेतु किसी प्राधिकार की पात्रता हेतु धार्मिक विश्वास या मान्यता संबंधी किसी भी परीक्षण का आयोजन अथवा आरोपण विधि-सम्मत नहीं होगा ;

(ii) उपरोक्त धारा 1 में उल्लिखित किसी तथ्य की उपेक्षा किये बिना विश्वविद्यालय, महिलाओं, विकलांगों अथवा समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों एवं विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के रोजगार एवं शैक्षणिक हितों के संरक्षण हेतु, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप विशेष प्रावधान करेगा.

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

12. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे, यथा :-

1. विजिटर;
2. कुलाधिपति ;
3. कुलपति ;
4. कुलसचिव ;
5. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ;
6. अन्य ऐसे अधिकारी, जिसकी घोषणा विश्वविद्यालय के संविधि के अंतर्गत अधिकारी के रूप में की जावे.

विजिटर.

13. (1) छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, विश्वविद्यालय के विजिटर होंगे ;

(2) विजिटर, जब वे उपस्थित होंगे, विश्वविद्यालय की उपाधि, पत्रोपाधि प्रदान करने हेतु आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे ;

(3) विजिटर की निम्न शक्तियां होंगी यथा :-

(अ) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित किसी अभिलेख अथवा सूचना मंगा सकेगा,

(ब) विजिटर को भेजी गयी जानकारी के आधार पर यदि वह संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश, प्रक्रिया अथवा निर्णय इस अधिनियम, विनियमों एवं नियमों के अनुरूप नहीं है, तो वह इस प्रकार के निर्देश प्रसारित करेगा जैसा कि वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे तथा इस प्रकार जारी किये गये निर्देश सभी संबंधितों द्वारा पालन किये जायेंगे .

14. (1) प्रायोजक निकाय द्वारा कुलाधिपति की नियुक्ति विजिटर के पूर्वानुमोदन से तीन वर्षों के लिए, ऐसी प्रक्रिया एवं ऐसी शर्तों एवं उपबंधों के अधीन की जावेगी जैसी कि संविधि द्वारा निहित की जावें ; कुलाधिपति.

(2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा ;

(3) कुलाधिपति विश्वविद्यालय की शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा विजिटर की अनुपस्थिति में उपाधि तथा पत्रोपाधि प्रदान करने हेतु आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ;

(4) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, यथा :-

(अ) किसी भी सूचना अथवा अभिलेख को मंगा सकना ;

(ब) कुलपति की नियुक्ति ;

(स) कुलपति को हटाना ;

(द) अन्य ऐसे अधिकार जो संविधि द्वारा निर्धारित किये जावे.

15. (1) कुलपति की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा अनुशंसित तीन व्यक्तियों की नाम-सूची (पेनल) में से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी, तथा धारा 34 (7) के प्रावधानों के अंतर्गत चार वर्ष तक पद धारण करेगा. कुलपति.

परंतु, यह भी कि चार वर्ष की पदावधि समाप्त होने के पश्चात् कुलपति को चार वर्ष से अधिक की नहीं पुनर्नियुक्ति की एक और अवधि की पात्रता होगी.

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी एवं अकादमिक अधिकारी होगा तथा विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों का सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण बनाये रखेगा तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों के निर्णय का क्रियान्वयन करावेगा ;

(3) कुलपति, विजिटर तथा कुलाधिपति दोनों की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ;

(4) यदि कुलपति की राय में किसी ऐसे विषय में त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत होती है जिसकी शक्तियां किसी अन्य प्राधिकारी को इस अधिनियम के द्वारा अवकाश के अंतर्गत प्रदत्त की गई है, तो वह ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा वह उचित समझता हो तथा यथाशीघ्र की गई कार्यवाही से ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी को अवगत कराएगा, जो कि सामान्यत: उस मामले में कार्यवाही करता है ;

परन्तु, यदि संबंधित प्राधिकारी के अभिमत में इस प्रकार की कार्यवाही कुलपति के द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी, तो इस प्रकार का प्रकरण निर्णय हेतु कुलाधिपति को भेजा जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा,

परन्तु, यह भी कि कुलपति के द्वारा की गई कार्यवाही विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है तो उस व्यक्ति को ऐसी कार्यवाही की सूचना की प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर व्यवस्थापक मंडल के समक्ष अपील करने हेतु अधिकृत होगा तथा प्रबंध मंडल कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही को पुष्टि अथवा संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा ;

(5) यदि कुलपति की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई निर्णय इस अधिनियम, संविधियों अथवा अधिनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों से बाहर है अथवा विश्वविद्यालयों के हितों के प्रतिकूल हो सकता है, तो वह इस निर्णय की तिथि से सात दिनों के भीतर उक्त निर्णय को संशोधित करने हेतु संबंधित प्राधिकारी को अनुरोध करेगा एवं उस परिस्थिति में जबकि प्राधिकारी उक्त निर्णय को पूर्णत: अथवा अंशत: संशोधित करने से इंकार करता है, अथवा सात दिनों के भीतर निर्णय ले सकने में असमर्थ रहता है, तब ऐसा प्रकरण कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा एवं उस पर उनका निर्णय अंतिम होगा ;

कुलसचिव.

(6) कुलपति द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जावेगा तथा ऐसे कर्त्तव्य का निर्वाह किया जावेगा जैसा कि जो संविधियों अथवा अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट हों ;

(7) यदि किसी समय अभ्यावेदन प्राप्त होने पर या अन्यथा की स्थिति में तथा ऐसी आवश्यक समझी जाने वाली जांच पड़ताल के पश्चात् कुलाधिपति, कारणों का उल्लेख करते हुए एवं लिखित आदेश देकर कुलपति को ऐसी तिथि से पद छोड़ने के लिए आदेशित करेगा, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो.

कुलसचिव.

16. (1) कुलसचिव की नियुक्ति इस प्रकार से की जावेगी जैसा कि प्रथम संविधि द्वारा निर्धारित की जावे,

(2) कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय की ओर से सभी अनुबंध हस्ताक्षरित किये जायेंगे तथा सभी दस्तावेज एवं अभिलेख अधिकारिक किये जावेंगे,

(3) कुल सचिव द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वाह किया जावेगा जैसा कि संविधियों द्वारा निर्धारित किये जायेंगे.

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी.

17. (1) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति इस प्रकार की जावेगी जैसा कि संविधियों द्वारा निर्देशित किया जावेगा ;

(2) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्त्तव्यों का निर्वाह करेगा, जैसा कि संविधि द्वारा निर्धारित किये जायेंगे.

अन्य अधिकारी.

18. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति उस प्रकार से की जावेगी जैसा कि संविधियों द्वारा निर्धारित की जावे.

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

19. विश्वविद्यालय में निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, यथा-

(1) शासी निकाय ;

(2) प्रबंध मंडल;

(3) अकादमिक कौंसिल, तथा

(4) अन्य ऐसे प्राधिकारी जिन्हें संविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जावे .

शासी निकाय.

20. (1) विश्वविद्यालय की शासी निकाय का गठन निम्नानुसार होगा, यथा-

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रायोजक समिति द्वारा नामांकित तीन व्यक्ति ;

(घ) राज्य शासन का एक प्रतिनिधि ;

(च) राज्य शासन द्वारा नामांकित एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् ; तथा

(छ) विजिटर द्वारा नामांकित एक अकादमिशियन (शैक्षिक विधि),

(2) कुलाधिपति शासी निकाय का अध्यक्ष होगा ;

(3) शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकारी होगा तथा उसे निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होगी, यथा:-

(क) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के निर्णयों पर पुनर्विचार करना यदि वे इस अधिनियम, नियमों, संविधियों अथवा अध्यादेशों से सुसंगत न हों ;

(ख) विश्वविद्यालय के बजट तथा वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन करना ;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली विस्तृत नीतियों का निर्धारण करना ;

(घ) विश्वविद्यालय के स्वेच्छया समापन संबंधी निर्णय लेना ;

(4) शासी निकाय की बैठक प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम दो बार होगी.

21. (1) प्रबंध मंडल का गठन निम्नानुसार होगा, यथा- प्रबंध मंडल.

(क) कुलपति;

(ख) राज्य शासन द्वारा नामांकित एक प्रतिनिधि ;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामांकित दो प्रतिनिधि ; तथा

(घ) विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम आचार्य ;

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल का अध्यक्ष होगा ;

(3) प्रबंध मंडल की शक्तियां एवं दायित्व ऐसे होंगे जैसा कि संविधि द्वारा निर्धारित किये जावेंगे.

22. (1) अकादमिक परिषद् में कुलपति तथा ऐसी संख्या में अन्य सदस्य होंगे जैसा कि संविधि द्वारा निर्धारित की जावेगी ; अकादमिक परिषद्.

(2) कुलपति अकादमिक परिषद् का अध्यक्ष होगा ;

(3) अकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख अकादमिक निकाय होगी तथा इस अधिनियम, नियमों, संविधियों एवं अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी तथा उन पर सामान्य पर्यवेक्षण बनाये रखेगी.

23. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां एवं कर्त्तव्य ऐसे होंगे जैसा कि संविधियों द्वारा निर्धारित किये जावेंगे. अन्य प्राधिकारी.

24. (1) शिक्षण, परीक्षा, शोध अथवा विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी विषय में प्रामाणिक स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य शासन, कुलपति से परामर्श के बाद ऐसी पद्धति से तथा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा आंकलन करा सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे. राज्य सरकार की विश्वविद्यालय के निरीक्षण की शक्ति.

(2) राज्य शासन, ऐसे आंकलन के परिणाम के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु अपनी अनुशंसाएं संसूचित करेगा.

(3) यदि राज्य शासन की राय में उपधारा (2) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय अथवा प्रस्तावित निर्णय से उसकी संतुष्टि नहीं है, तो उसे आगे की कार्यवाही हेतु कुलपति को पुन: संसूचित करेगा, जो औचित्यपूर्ण समय में अनुशंसा को क्रियान्वित करेगा, अन्यथा राज्य शासन जैसा उचित समझे, कार्यवाही कर सकेगा.

25. (1) इस अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय प्रथम संविधि द्वारा निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी विषय का प्रावधान कर सकेगा, यथा:- प्रथम संविधि.

(क) समय-समय पर गठित विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा अन्य निकायों के गठन, शक्तियां एवं कर्त्तव्य ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति की शर्तें तथा उसकी शक्तियां एवं कर्त्तव्य ;

(ग) कुलसचिव, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, की नियुक्ति की शर्तें, तथा उनकी शक्तियां एवं कर्त्तव्य ;

(घ) अन्य अधिकारियों एवं संकाय के सदस्यों की नियुक्ति की शर्तें, तथा उनकी शक्तियां एवं कर्त्तव्य;

(च) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें ;

(छ) अधिकारियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों एवं छात्रों के बीच विवाद की स्थिति में मध्यस्थता हेतु प्रक्रिया;

(झ) मानद उपाधियां प्रदान करना ;

(त) शिक्षा शुल्क से मुक्ति तथा छात्रवृत्ति प्रदान करने संबंधी प्रावधान ;

(थ) प्रवेश संबंधी नीति, जिसमें छात्र-संख्या के आरक्षण का नियमन भी समाहित हो ;

(द) छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क का प्रावधान ;

(ध) विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु छात्र-संख्या का प्रावधान ;

परन्तु, यह कि विश्वविद्यालय, राज्य शासन के पूर्वानुमोदन बिना, छात्रों से दान अथवा कैपिटेशन शुल्क लेने संबंधी कोई संविधि नहीं बनायेगा.

(2) विश्वविद्यालय की प्रथम संविधियां, शासी निकाय द्वारा बनायी जायेंगी एवं राज्य शासन को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएंगी.

(3) राज्य शासन, विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रथम संविधियों पर उनकी प्राप्ति की तिथि से 2 माह के भीतर विचार करेगा एवं ऐसे संशोधनों सहित, जैसा कि वह उचित समझे, अपना अनुमोदन प्रदान करेगा.

(4) विश्वविद्यालय, प्रथम संविधियों पर, जैसा कि वे राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की गई हैं, अपनी सहमति संसूचित करेगा तथा यदि विश्वविद्यालय, राज्य शासन द्वारा उपधारा (3) के अंतर्गत किये गये संशोधनों के क्रियान्वयन हेतु सहमत न हो, तो वह उसका कारण बता सकेगा. विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये सुझावों को राज्य शासन स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है.

(5) राज्य शासन, प्रथम संविधियों को, जैसा कि वे उसके द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है, राजपत्र में प्रकाशित करेगा एवं तत्पश्चात् ऐसी संविधियां प्रभावशील होंगी.

अनुगामी संविधि.

26. इस अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय के संविधि में निम्नलिखित में से समस्त अथवा किन्हीं विषयों का प्रावधान कर सकेगी :-

(क) विश्वविद्यालय के अंतर्गत नये प्राधिकारी का सृजन ;

(ख) लेखा नीति एवं वित्तीय प्रक्रिया ;

(ग) प्राधिकारियों में प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु चुनाव, शिक्षकों का निर्वाचन ;

(घ) नये विभागों का निर्माण तथा विद्यमान विभागों का विलयन या पुनर्गठन ;

(च) फैलोशिप, छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, शुल्क से मुक्ति, पदक एवं पुरस्कार ;

(छ) पदों का सृजन एवं विलयन ;

(ज) शुल्क का पुनर्निर्धारण ;

(झ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में निर्धारित छात्र-संख्या में परिवर्तन ;

(त) अन्य ऐसे विषय जो नियमों द्वारा निर्धारित नहीं है, तथा जिन्हें संविधि द्वारा निर्धारित किया जाना है;

(2) प्रथम संविधियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय की अन्य संविधियां, प्रबंध मंडल द्वारा, शासी निकाय के अनुमोदन से बनायी जायेंगी ;

(3) उपधारा 2 के अंतर्गत निर्मित संविधियां राज्य शासन को भेजी जाएंगी तथा राज्य शासन यदि आवश्यक समझे तो उनकी प्राप्ति की तिथि से 2 माह के भीतर उनमें संशोधन के सुझाव दे सकेगा ;

(4) शासी निकाय, राज्य शासन द्वारा सुझाये गये संशोधनों पर विचार करेगा एवं संविधियों को अपनी टिप्पणी सहित राज्य शासन को वापस भेजेगा ;

(5) राज्य शासन, शासी निकाय द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगा एवं संविधियां, जैसा कि वे राज्य शासन द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है, राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी एवं ऐसे प्रकाशन के पश्चात् वे प्रभावशील हो जाएंगी.

अध्यादेश.

27. (1) इस अधिनियम, नियमों तथा संविधियों, के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अध्यादेश, निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय का प्रावधान कर सकते हैं:-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उनका नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, पत्रोपाधियों व प्रमाण पत्रों के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रमों का निर्धारण;

(ग) विश्वविद्यालय की उपाधियां, पत्रोपाधियां, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य का प्रदान

किया जाना, उनके लिए अर्हताएं एवं उन्हें प्रदान करने एवं प्राप्त करने संबंधी अपनाये जाने वाली प्रणाली ;

(ङ) फैलोशिप, छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, पदक एवं पुरस्कार प्रदान करने संबंधी शर्तें ;

(च) परीक्षा समितियों, परीक्षकों एवं मॉडरेटरों की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं उनका सेवावधि व शर्तों सहित परीक्षाओं का संचालन ;

(छ) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों एवं पत्रोपाधियों के शुल्क का निर्धारण ;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास की शर्तें ;

(झ) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रावधान ;

(त) विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन में सुधार हेतु आवश्यक होने पर किसी अन्य निकाय का सृजन, गठन एवं कर्त्तव्य ;

(थ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा के संस्थाओं से सहयोग एवं सहभागिता की प्रणाली ;

(द) इस अध्यादेश, नियम और संविधियों के अनुसार अन्य ऐसे समस्त विषय जिनका अधिनियमों द्वारा प्रावधान किया जाना आवश्यक है.

(2) विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश कुलपति द्वारा बनाये जाऐंगे जो कि राज्य शासन को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाऐंगे.

(3) उपधारा (2) के अंतर्गत कुलपति द्वारा बनाये गये अध्यादेशों पर राज्य शासन उनकी प्राप्ति की तिथि से 2 माह के भीतर विचार करेगा एवं उसे या तो अनुमोदित करेगा या संशोधन के सुझाव देगा.

(4) कुलपति, राज्य शासन द्वारा दिये गये सुझावों पर अपनी टिप्पणी देगा एवं "प्रथम अध्यादेश" को राज्य शासन को वापस करेगा एवं उसकी प्राप्ति पर राज्य शासन या तो उन्हें अनुमोदित करेगा या उसे अस्वीकार कर देगा, एवं उसके अंतिम निर्णय के आधार पर अध्यादेश, जैसा कि वे अनुमोदित होंगे, राजपत्र में प्रकाशित किये जाएंगे एवं ऐसे प्रकाशन के पश्चात् अध्यादेश प्रभावशील हो जाएंगे.

28. (1) प्रथम अध्यादेश के अतिरिक्त शेष सभी अध्यादेश अकादमिक परिषद् द्वारा प्रबंध मंडल के अनुमोदन से निर्मित किये जावेंगे. अनुगामी अध्यादेश.

(2) राज्य शासन उपधारा (1) के अंतर्गत निर्मित सभी अध्यादेश का प्रकाशन राजपत्र में करेगा तथा ऐसे प्रकाशन के पश्चात् अध्यादेश प्रभावशील हो जायेंगे.

29. (1) प्रबंध मंडल द्वारा विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा, जिसमें अन्य विषयों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उठाये गये कदमों का समावेश होगा तथा जिसका अनुमोदन शासी निकाय द्वारा किया जावेगा, एवं इसकी एक प्रति विजिटर को भी भेजी जायेगी ; वार्षिक प्रतिवेदन.

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत तैयार की गई वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य शासन को प्रस्तुत की जावेगी.

30. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तथा बैलेन्सशीट प्रबंध मंडल के निर्देशों के अधीन तैयार की जावेगी तथा वार्षिक लेखा का परीक्षण वर्ष में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा किया जावेगा ; वार्षिक लेखा.

(2) वार्षिक लेखा सहित, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रतिवेदन शासी निकाय को प्रस्तुत किया जावेगा;

(3) वार्षिक लेखा,लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा शासी निकाय की टीप सहित एक प्रति विजिटर को तथा एक प्रति राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा ;

(4) लेखा एवं ऑडिट रिपोर्ट से उत्पन्न विषय पर राज्य शासन द्वारा दिये गए निर्देश, विश्वविद्यालय के लिए बंधनकारी होंगे.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53-अ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 मार्च 2004—फाल्गुन 27, शक 1925

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2004

क्रमांक 1737/21-अ/प्रारूपण/04.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 15-3-04 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 4 सन् 2004)

छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2004

छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क0 02/2002) को संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के 55वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2004 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा ।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

परिभाषा

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(1) "मूल अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क0 02 सन् 2002)।

धारा–2 का संशोधन

3. "मूल अधिनियम" की धारा 2 में खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए; अर्थात्,

"(ङ.) "मुख्य परिसर" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का परिसर जहां विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यालय स्थित हो तथा जहां कुलपति एवं कुलसचिव निवास करते हैं और

जहां कम से कम 03 विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग/अध्ययन केन्द्र स्थित है ।

(च) "दूर परिसर–केन्द्र" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का ऐसा केन्द्र जो मुख्य परिसर से बाहर स्थापित (राज्य के भीतर या बाहर) हो तथा जिसका संचालन एवं संधारण विश्वविद्यालय क्षेत्रीय इकाई के रूप में करता हो, जिसमें विश्वविद्यालय की सुविधाएँ, निकाय तथा कर्मचारिवृन्द सम्मिलित हैं ।

(छ) "वैदेशिक परिसर" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का परिसर जो देश के बाहर उसके द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका संचालन एवं संधारण विश्वविद्यालय की इकाई के रूप किया जा रहा है जिसमें विश्वविद्यालय की सुविधाएँ, निकाय तथा कर्मचारिवृन्द सम्मिलित हैं ।

(ज) "अध्ययन केन्द्र" से अभिप्रेत है, दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में विद्यार्थियों को परामर्श, मंत्रणा या अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, संधारित या मान्यता प्राप्त केन्द्र ।

(झ) "शुल्क" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से लिया जाने वाला शुल्क जो किसी भी नाम से हो और जो वापसी योग्य नहीं है ।

(य) "विनियामक आयोग" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन स्थापित विनियामक आयोग ।"

धारा–3 का संशोधन 4. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधाराओं (10) तथा (11) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाए, अर्थात :–

"(10) यह सुनिश्चित करना कि उपाधि, पत्रोपाधि, प्रमाण–पत्र तथा अन्य अकादमिक विशिष्टता का स्तर ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.टी.ई./यू.जी.सी./एम.सी.आई./फार्मेसी काउन्सिल एवं शिक्षा के विनियमन के लिए

केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित अन्य अभिकरण/अभिकरणों तथा विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानक से निम्नतर न हो ।

(11) किसी ऐसे अन्य उद्देश्य, जो विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया जावे, की प्राप्ति के लिए कार्य करना ।"

धारा–4 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाए; अर्थात् :–

"(1) (क) प्रायोजक निकाय द्वारा अधिनियम की धारा 3 में उल्लेखित किसी एक या समस्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए परियोजना प्रतिवेदन आवेदन के साथ विनियामक आयोग को; विश्वविद्यालय प्रारंभ किए जाने की तारीख से कम से कम एक वर्ष के पूर्व, निर्धारित शुल्क तथा ऐसे प्रारूप में जैसा कि विहित किया जाए, प्रस्तुत किया जावेगा ।

(ख) प्रायोजक निकाय ऊपर (क) उल्लेखित अपने आवेदन के साथ;

(i) यह प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि उसने 02 करोड़ रूपये की विन्यास निधि स्थापित की है ।

(ii) इसके साथ ही, इसका प्रमाण कि उसके पास, यदि रायपुर नगर निगम सीमा के अधीन विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करना है, तो 15 एकड़ भूमि है एवं अन्य स्थानों के मामले में, 25 एकड़ भूमि है तथा साथ में यदि भूमि पट्टे पर प्राप्त की गयी है, तो पट्टे की अवधि कम से कम 30 वर्ष की हो । यदि प्रायोजक निकाय के पास ऊपर उल्लिखित अनुसार भूमि नहीं है, तो उसे रूपये 02 करोड़ की अतिरिक्त राशि विहित प्रक्रिया के अनुसार जमा करनी होगी तथा इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा । रूपये 02 करोड़ की अतिरिक्त निधि से राशि आहरण की अनुमति विश्वविद्यालय द्वारा

भूमि क्रय करने हेतु चाहे जाने पर विनियामक आयोग द्वारा दी जायेगी ।

परंतु यदि विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर अनुसूचित क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है, उस स्थिति में उक्त (एक) व (दो) के अंतर्गत केवल पचास प्रतिशत ही जमा कराना होगा ।

(ग) विन्यास निधि का उपयोग प्रतिभूति राशि के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा, कि विश्वविद्यालय के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है तथा अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों अनुसार विश्वविद्यालय का संचालन किया जा रहा है । विनियामक आयोग को विहित प्रक्रिया अनुसार यह शक्ति होगी कि वह पालन न होने की स्थिति में विन्यास निधि पूर्णतः या अंशतः समपहृत कर सकेगा ।

(घ) विन्यास निधि की राशि का विनियोजन विहित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा ।

(ड.) विन्यास निधि से होने वाली आय को प्रायोजक निकाय को ही विश्वविद्यालय का उन्नयन करने के लिए उपयोग करने दिया जायेगा ।

(1–क) जो विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अधीन पूर्व से राज्य में स्थापित है, उसे 30 जून 2004 तक धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) से (ड.) के प्रावधानों को पूरा करना होगा अन्यथा अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत शासन द्वारा जारी अधिसूचना विनियामक आयोग की अनुशंसा पर निरस्त की जा सकेगी । इस तरह से विश्वविद्यालय के गैर–अधिसूचित होने पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रमों को पूरा कराना, परीक्षाएँ कराना तथा उपाधियाँ प्रदान किया जाना, अन्य विश्वविद्यालय को

इस प्रकार सौंपा जा सकेगा कि विद्यार्थियों के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों । इस संबंध में होने वाले व्यय को संबंधित विश्वविद्यालय की सामान्य निधि से पूरा किया जायेगा ।"

6. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (थ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड (थ) स्थापित किया जाये; अर्थात् :–

"(थ) इकाई लागत पर होने वाले व्यय का विवरण, शुल्क में दी जाने वाली छूट या परिहार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दी जाने वाली छात्रवृत्ति तथा अध्येत्तावृत्ति, भिन्न दरों से वसूल किया जाने वाला शुल्क, यदि कोई हो, जो अप्रवासी भारतीय या अन्य देशों के नागरिकों से वसूल किया जाना हो ।"

7. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाए; अर्थात् :–

"(3) आवेदन, परियोजना प्रतिवेदन, विन्यास निधि की स्थापना तथा ऐसी भूमि के स्वामित्व का प्रमाण, जिसका उपयोग केवल विश्वविद्यालय के संचालन के लिए किया जायेगा, या इसके बदले में यह प्रमाण कि उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त निधि स्थापित की जा चुकी है; प्राप्त होने पर आवेदन प्राप्ति के दिनांक के 45 दिन के अंदर ऐसी जाँच विनियामक आयोग करेगा, जैसा कि आवश्यक हो ।"

8. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाए ; अर्थात् :–,

"(4) विनियामक आयोग यदि विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव से संतुष्ट हो जाता है, तो वह राज्य शासन को अधिसूचना जारी करने की सलाह दे सकेगा ।"

धारा–5 का संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित किया जावे; अर्थात् :–

"(1)(क) राज्य शासन विनियामक आयोग की धारा 4 की उपधारा (4) में निर्धारित व्यवस्था अनुसार सलाह पर शासकीय गजट में घोषित करेगा कि विश्वविद्यालय ऐसे नाम से तथा ऐसे क्षेत्राधिकार एवं मुख्य परिसर के स्थानन सहित उस तारीख से जिस तारीख का उल्लेख अधिसूचना में किया गया है, स्थापित किया गया है ।

(ख) ऐसी सभी अधिसूचनाएँ; जो अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2004 के प्रभावी होने के पूर्व जारी की गयी है, अधिनियम की अनुसूची –1 में शामिल की जायेगी तथा इसके बाद अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी अधिसूचना इस वर्णित अनुसूची–1 का अंश क्रमानुसार होगी ।

(ग) अनुसूची–1 में सम्मिलित सभी विश्वविद्यालयों पर अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे ।

धारा–6 का संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाये; अर्थात् :–

"(2) धारा 5 की उपधारा (1) के अनुसार अधिसूचना के पश्चात, विश्वविद्यालय धारा 4 की उपधारा (1) में संदर्भित भूमि पर छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य परिसर स्थापित करेगा तथा इस उद्देश्य से अधिसूचना के 2 वर्षों के अंदर कम से कम 25,000 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र की संरचना करेगा, जो कि भवनों तथा इसी प्रकार की अन्य संरचना होगी । ऐसे विश्वविद्यालयों के प्रकरण में, जिनकी अधिसूचना इस संशोधन अधिनियम के पूर्व की

जा चुकी है, दो वर्ष की अवधि की गणना संशोधन अधिनियम से प्रभावी होने के दिनांक से की जायेगी ।

(3) इस अधिनियम के प्रावधानों के कारण, वैधानिक विवाद, यदि कोई हो, तो उसका निराकरण ऐसे न्यायालय में होगा जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है ।"

धारा–7 का संशोधन

11. मूल अधिनियम की धारा 7 के खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाए; अर्थात् :–

"परन्तु, ऊपर (क) के अंतर्गत दर्शाये शुल्क का 1 प्रतिशत जो उन विद्यार्थियों से एकत्रित किया गया है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित मुख्य परिसर/दूर परिसर–केन्द्र या अध्ययन केन्द्र में नामांकित हैं; शुल्क का 2 प्रतिशत जो ऐसे विद्यार्थियों से एकत्रित किया गया है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर स्थित के किसी स्थान में स्थापित दूर परिसर–केन्द्र या अध्ययन केन्द्र या वैदेशिक परिसर में नामांकित है; प्राप्ति के माह के तुरंत बाद के माह के 15 दिन के अंदर विनियामक आयोग में जमा किया जायेगा । विनियामक आयोग जमा की गयी राशि यथासंभव 60 दिन के अंदर राज्य की संचित निधि में, ऐसे व्याज के साथ, यदि कोई हो, तथा, जो इस जमा पर प्राप्त किया गया हो, जमा करेगा ।

उक्त अनुसार शुल्क की राशि प्राप्ति के 30 दिन के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा जमा नहीं की जाने पर डेढ़ प्रतिशत प्रति 30 दिन के लिए दंडात्मक व्याज विनियामक आयोग वसूल कर सकेगा।"

धारा–10 का संशोधन

12. मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित किया जाए; अर्थात् :–

"10. "विश्वविद्यालय की भूमि का उपयोग केवल विश्वविद्यालय चलाने के लिए ही किया जायेगा और किसी अन्य कार्य हेतु नहीं किया जायेगा ।"

धारा–24 का संशोधन

13. मूल अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाए; अर्थात् :–

विनियामक आयोग की स्थापना

24(1) अध्यापन, परीक्षा व शोध में यथोचित मानक स्तर सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों के हित संरक्षण तथा कर्मचारियों को तर्कसंगत सेवा शर्तें सुनिश्चित करने, इसके साथ विश्वविद्यालय को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता बनाये रखने के लिए एक विनियामक आयोग स्थापित होगा ।

(2) विनियामक आयोग विजिटर के सामान्य नियंत्रण में कार्य करेगा ।

(3) विनियामक आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा दो पूर्णकालिक एवं 2 से अनधिक अंशकालीक सदस्य होंगे तथा जिन्हें विजिटर द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

(4) अध्यक्ष की नियुक्ति विजिटर द्वारा एक ऐसे पेनेल से की जायेगी जिसकी अनुशंसा राज्य शासन के शिक्षा विभाग द्वारा की जायेगी और जिसमें ऐसे प्रख्यात शिक्षाविदों को शामिल किया जायेगा जिन्हें उच्च शिक्षा की संस्थाओं के क्रियान्वयन का पूर्ण अनुभव हो ।

(5) सदस्यों की नियुक्ति विजिटर द्वारा ऐसे पेनेल में से की जायेगी जिसे राज्य शासन के शिक्षा विभाग द्वारा अनुशंसित किया जायेगा और जिसमें, शिक्षा, वित्त, विधि, प्रशासन/प्रबंधन आदि में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का नाम शामिल होगा ।

(6) अध्यक्ष तथा सदस्य ऐसे होंगे, जो कि इस अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों से किसी तरह से संबंधित नहीं हों ।

(7) आयोग के समस्त आदेश, विनिश्चय तथा लिखतों तथा समस्त निर्देशों को अध्यक्ष के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित किया जाएगा ।

(8) अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें, बैठकों की विधि, आयोग के कर्मचारिवृंद की नियुक्तियाँ और उनकी सेवा शर्तों; विशिष्ट प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों की अस्थायी सहयुक्ति, आयोग की निधि, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा, अंकेक्षण और इस प्रकार की अन्य बातें जो कि आयोग के सही संचालन के लिए आवश्यक हो; राज्य सरकार इस संबंध में बनाये नियम द्वारा निर्धारित करेगी ।

(9) विनियामक आयोग का यह सामान्य दायित्व होगा कि :—

(क) कि विश्वविद्यालयों तथा ऐसे अन्य निकायों जो उच्च शिक्षा व्यवस्था के नियामक कार्यों से देश में जुड़े हुए हैं, जैसे कि यू. जी. सी.; ए. आई. सी. टी. ई. तथा एन. सी. टी. ई., एम. सी. आई. एवं फार्मेसी परिषद् एवं शिक्षा के विनियमन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित अन्य अभिकरण/अभिकरणों से सलाह कर ऐसे सब कार्य करे जिसे वह उपयुक्त समझे ताकि विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षा एवं शोध का मानक स्तर बनाया जा सके ।

(ख) विश्वविद्यालयों को यह स्वतंत्रता रहे कि, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी आरक्षण नीति के अध्यधीन रहते हुए; वे प्रवेश, पाठ्यक्रम, अध्यापन एवं विद्यार्थियों के मूल्यांकन और उससे संबंधित बातों के संबंध में नियम बना सकें ।

(ग) सुनिश्चित करे विश्वविद्यालय को इतना शुल्क और अन्य राशि एकत्रित करने का अधिकार हो, ताकि वे उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की लागत को वसूल कर सकें और साथ में उनके पास कुछ राशि बच भी सके जिसका उपयोग वे संपत्ति के संधारण और आगे के विस्तार के लिए कर सकें ।

(घ) यह सुनिश्चित करे कि विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु नियुक्त कर्मचारिवृंद में कम से कम वे न्यूनतम अर्हताएँ हों और कम से कम उन्हें वह न्यूनतम वेतनमान मिले, जिसकी उनकी अर्हताओं को देखते हुए उन्हें पात्रता है ।

(ङ.) विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृंद का हर सदस्य एक लिखित संविदा के तहत नियुक्त किया जाए, जिसकी एक प्रति विश्वविद्यालय में रखी जाए और एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाए ।

(च) कि विश्वविद्यालय में नामांकित, विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी न हो या उनका शोषण न हो और उनसे शुल्क वसूल करने के लिए गलत तरीके न अपनाए जाएँ ।

(छ) विश्वविद्यालय के विघटन संबंधी सभी मामले में कार्रवाई करे । विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा संचालन एवं उपाधि देने का कार्य इसमें शामिल हैं । इसको या तो वह स्वयं करेगा या इस कार्य को किसी अन्य विश्वविद्यालय को इस प्रकार सौंपेगे ताकि विद्यार्थियों के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों । विद्यार्थियों के लिए किये जाने वाले इन सब कार्यों पर तथा साथ में विश्वविद्यालयों के विघटन पर होने-वाले व्यय को विन्यास निधि एवं/या सामान्य निधि से पूरा किया जाएगा ।

(ज) इस संशोधन अधिनियम के प्रभावी होने के दिनांक को भारत के विभिन्न स्थानों तथा अन्य देशों में स्थित अध्ययन केन्द्रों को विश्वविद्यालय से सलाह कर नियमित करना और इस दिनांक के बाद दूर परिसर केन्द्र, वैदेशिक परिसर एवं अध्ययन केन्द्र के खोलने की विश्वविद्यालय से सलाह कर अनुमति देना ।"

(10) नीति विषयक प्रश्नों पर राज्य शासन विनियामक आयोग को निर्देश दे सकेगा ।

(11) इस अधिनियम के उपबंधों के होते हुए भी, विनियामक आयोग का इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत गठन होने तक या गठन के बाद विनियामक आयोग यदि कार्य नहीं कर रहा हो, चाहे जिन कारणों से भी हो, शिक्षा विभाग में निहित राज्य शासन, विनियामक आयोग का कार्य करेगा ।

धारा–25,26, 27 एवं 30 में संशोधन

14. मूल अधिनियम की; धारा 25 की उपधारा (1) से उपधारा (4) तक में धारा 26 की उपधारा (3) एवं (4) तक में; धारा 27 की उपधारा (2) एवं (3) तक में; तथा धारा 30 की उपधारा (3) एवं (4) में जहाँ–जहाँ "राज्य शासन" शब्द आया है, उसके स्थान पर "विनियामक आयोग" शब्द स्थापित किया जाए ।

15. मूल अधिनियम की धारा 25 (5) को विलोपित कर निम्नलिखित स्थापित किया जाए; अर्थात्,

"(5) राज्य शासन, प्रथम संविधियों को जैसा कि विनियामक आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है, राजपत्र में प्रकाशित करेगा एवं तत्पश्चात् ऐसी संविधियाँ प्रभावशील होंगी ।"